स्थगित

1-6-17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत ~~मौजा~~ मौजा पर पेश हुई। वादिया स्वयं उपस्थित। तहसीलदार माण्डल के मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली की गयी। जबकि विपक्षी क्र० 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तथा न ही विपक्षी क्र० 2 की ओर से जवाब ही प्रस्तुत किया गया। वादिया ने उपस्थित होकर बहस करनी चाही तथा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वादिया ने प्राप्त मौका रिपोर्ट के मुताबिक पत्रावली के निस्तारण किये जाने की प्रार्थना की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित खातेदारान ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर प्रार्थिया के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व ओमिलेशन जमाबंदी की नकल सम्वत 2071 से 2074 से होती है. प्रार्थिया इसके खातेदारी खातेदारान पर आने-जाने बाबत खसरा नं० 2516 में रास्ता मिलकियत सरकारी गैर मु० सड़क जिसके खसरा नं० 10811 है जो विपक्षी क्र० 1 की खसरा नं० 2533 की उत्तर दिशा में स्थित

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

(नियम 26)

जे अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

कस्म मुकदमा ~~[illegible]~~ प्रार्थना नं. 494 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी नं० 1090 ग्रा० हु० पाम के जुड़ती है तथा उत्तर-दक्षिण व पाल के छोड़कर विपक्षी की आराजी नं० 2533 की पूर्वी मेड़ के उधार-आदार होकर प्रार्थिया कृषि आराजी नं० 2516 में जाता-आता है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2071 व 2074 व नक्शा ट्रेस की होती है प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थिया कृषक खातेदारी व दर्ज काश्त की आराजियात में राह जाने, बैल, बैलगाड़ी इत्यादि आराजी नं० 1089/1 है तथा जाने, बैल, बैलगाड़ी इत्यादि आराजी नं० 1089/1 है तथा विपक्षी नं० 1 की आराजी नं० 2533 की उत्तर दिशा में स्थित विपक्षी नं० 1 की आराजी नं० 2533 की उत्तर दिशा में स्थित आराजी नं० 1090 ग्रा० हु० पाम के जुड़ती है तथा उत्तर-दक्षिण आराजी नं० 1090 ग्रा० हु० पाम के जुड़ती है तथा उत्तर-दक्षिण व पाल के छोड़कर विपक्षी की आराजी नं० 2533 की पूर्वी मेड़ के उधार-आदार होकर जाती है। जिसकी ताईद प्रस्तुत नजरी नक्शा से होती है तहसीलदार मौडल प्रस्तुत नजरी नक्शा से होती है तहसीलदार मौडल रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया कृषि आराजियात के प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया कृषि आराजियात को रास्ता व दर्ज काश्त की आराजी में विपक्षी नं० 1 के खाते व दर्ज काश्त की आराजी में है। विपक्षी नं० 1 के खाते जाती है तथा मौके पर वर्तमान में पूर्वी दिशा में जाती है तथा मौके पर वर्तमान में पूर्वी दिशा में बाड़ी की गई हुई है। मापित नक्शा पूर्वी दिशा में गाड़ी की गुजर बनी हुई है। मापित नक्शा 12 फीट चौड़ा व 280.25 फीट लम्बा जिसका कुल क्षेत्रफल 3366 वर्गफीट है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पर्चा मौका रिपोर्ट से होती है जिससे प्रार्थिया की कृषि आराजी में 1949.17 की होती है जिससे प्रार्थिया की कृषि आराजी में आने-जाने का सुगम, सरल व निरन्तर रास्ता नहीं है। आने-जाने का सुगम, सरल व निरन्तर रास्ता नहीं है। विपक्षी नं० 1 व 2 ने इसके अलावा अन्य रास्ता नहीं है। विपक्षी नं० 1 व 2 ने इसके अलावा अन्य कोई जवाब प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र के खण्डन में न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया	

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जा...
	मौके पर भी कोई दस्तावेज भी पेश किये।	

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

:: आदेश ::

प्रार्थना पत्र धारा 251-A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम मौजा पटवार हल्का मौजा तहसील मोडक में स्थित आराजी नं० 2516 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा पर आने-जाने हेतु विपक्षी क्र० 1 के खाते व कब्जे काश्त की आराजी नं० 2533 के पूर्वी दिशा में 12 फीट चौड़ा तथा 280.05 फीट लम्बा यानि कुल क्षेत्रफल 3366 वर्गफीट रास्ता दिये जाने का आदेश किया जाता है। रास्ते हेतु उपयोग-उपभोग होने वाली भूमि का वर्तमान D.L.C. की दर से गणना करके इस गणना से प्राप्त राशि कुसुमी प्रार्थिया से प्राप्त करें। प्राप्त राशि विपक्षी क्र० 1 के खाते में से 3366 वर्गफीट भूमि को रास्ता में कन्वर्ट करते हुए गणना के दौरान प्राप्त राशि प्रार्थिया से प्राप्त करते हुए विपक्षी क्र० 1 को अदा करें / या राज कोष में जमा करावें। विपक्षी द्वारा राशि प्राप्त करने पर रास्ते में आने वाली भूमि विपक्षी क्र० 1 के खाते में से कम करते हुए मिसलात राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुए नक्शे में भी उसी अनुसार रास्ता दर्ज करें। निर्णय की पालना किये जाने बाबत तहसीलदार मोडक को निर्णय की प्रति भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी